

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद हरदोई के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा घंटाघर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी० (चैनेज ०.०० से २.५० एवं २.० किमी०) दांयी पटरी पर (कुल-४.५० किमी०) की दूरी में गैस पाईपलाईन बिछाये जाने में प्रभावित ०.२४७५ हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/१४३१८४/२०२१)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-पी-३६३/८१-२-२०२२-८००(३६१)/२०२२ दिनांक १२ जनवरी २०२३ के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 11-01-2023 12:55:05

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित
(आशीष तिवारी)

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।